सं. 31011/8/2017-स्था.(क-1V)

भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
स्थापना क-1V डेस्क

****

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक : 18 अक्तूबर, 2018

कार्यालय ज्ञापन

विषय : सातवें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के उपरांत एलटीसी (छुट्टी यात्रा रियायत) के उद्देश्य से सरकारी कर्मचारियों की यात्रा-पात्रता के संबंध में स्पष्टीकरण।

अधोहस्ताक्षरी को उपरोक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 19.09.2017 के समसंख्यक का कार्यालय ज्ञापन का संदर्भ देने का निदेश हुआ है जो अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान करता है कि एलटीसी के प्रयोजन से सरकारी कर्मचारियों की यात्रा-पात्रताएं, वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 से स्तर 8 तक के लिए हवाई यात्रा-रियायत, जिसकी केवल यात्रा भत्ता (टीए) के संबंध में ही अनुमति है न कि एलटीसी के लिए; को छोड़कर वित्त मंत्रालय के दिनांक 13.07.2017 के का.ज्ञा.सं. 19030/1/2017-ई- 1V के तहत अधिसूचित किए गए अनुसार यात्रा भत्ता (टीए) पात्रताओं के समान ही रहेंगी।

2. यह देखा गया है कि वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 से स्तर 8 तक के सरकारी कर्मचारियों ने दिनांक 13.07.2017 से 19.09.2017 तक की बीच की अवधि (अर्थात् वित्त मंत्रालय के दिनांक 13.07.2017 के के का.ज्ञा. जारी होने के पश्चात् तथा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 19.09.2017 के का.ज्ञा. जारी होने से पहले) के दौरान; यह सोचकर कि वे संशोधित यात्रा (टीए) नियमों के अनुसार हवाई-यात्रा के लिए पात्र हैं; गलती से एलटीसी के दौरान हवाई जहाज द्वारा यात्रा की थी। इस विभाग को कई सरकारी कर्मचारियों तथा विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से ऐसे कर्मचारियों के एलटीसी दावों के निपटान में उनके सामने आई कठिनाइयों के मद्देनजर ऐसे सरकारी कर्मचारियों के संबंध में छूट प्रदान करने के संबंध में अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं।

3. इस विभाग में व्यय विभाग के परामर्श से इस मामले की जांच की गई है। इस विभाग के दिनांक 19.09.2017 के समसंख्यक का.ज्ञा. में छूट देते हुए, वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 से स्तर 8 के ऐसे सरकारी कर्मचारियों के दावों का स्वीकार करने का निर्णय लिया गया है, जिन्होंने 13.07.2017 से 19.09.2017 के दौरान एलटीसी का लाभ उठाते हुए संशोधित यात्रा भत्ता (टीए) नियमों के अनुसार हवाई जहाज द्वारा यात्रा की थी। यह एलटीसी पर हवाई यात्रा की अन्य शर्तों जैसे कि प्राधिकृत तरीके से हवाई-टिकिट बुक करना, एलटीसी-80 की किराया-सीमा, आदि को पूरा करने के अध्यधीन होगा।

18.10.18

(सूर्य नारायण झा)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,
सचिव
भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
(मानक सूची के अनुसार)

प्रतिलिपि :-

1. भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली ।
2. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली ।
3. केंद्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली।
4. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, नई दिल्ली।
5. संसद पुस्तकालय, नई दिल्ली ।
6. सभी संघ राज्य क्षेत्र।
7. लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय।
8. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के अधीन सभी संबद्ध कार्यालय ।
9. एनआईसी, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, इस का.ज्ञा. को इस विभाग की वेबसाइट (का.ज्ञा./आदेश << स्थापना << एलटीसी नियम) पर अपलोड करें।